न्यायालय, पुष्पेन्द्र कुमार पाण्डेय,
अवर न्यायाधीश प्रथम जगदीशपुर,भोजपुर
हकीयत वाद सं. 122/2023

Date of Order or Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with
30-01-2024	उभयपक्ष की हाजरी है। वाद पुकारा गया। वाद पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि वादी द्वारा दिनांक 30.08.2023 को आदेश 39 नियम 01 एवं 02 तथा धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निशेधाज्ञा आवेदन दाखिल कर प्रतिवादी के विरूद्ध निशेधाज्ञा आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि को बैय करना चाहते है जिससे मौके पर स्थिती बहुत ही खराब है जिसमें निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी सं0 01 से 03 तथा 12 से 18 के विद्वान अधिवक्ता उक्त आवेदन का विरोध नही करते है तथा कथन करते है कि विवादित भूमि पर निशेधाज्ञा आदेश पारित किया जाए। सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होाता है कि वादी द्वारा उक्त निषेधाज्ञा आवेदन कि प्रति प्रतिवादी को दिया गया है तथा अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में अभी प्रतिवादी सं0 04 से 10 उपस्थित नही हुए है तथा प्रतिवादी सं0 01 से 03 तथा 12 से 18 उपस्थित होकर वादी के उक्त निशेधाज्ञा आवेदन का समर्थन करते हुए आवेदन पर अनापत्ती दर्ज किया गया है तथा वर्तमान में वाद अनुपस्थित प्रतिवादीयो की उपस्थितीती हेतु लंबित है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि वादी के द्वारा न्यायालय में प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद साह एवं अन्य द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक 11.04.2023 एवं 12.01.2023 का छाया प्रति दाखिल किया गया है जो दर्शित करता है कि प्रतिवादीयों के द्वारा वाद लंबन के दौरान विवादित भूमि के अंश के निमित विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यो एवं परिस्थीतियो एवं उभयपक्ष कि सहमती के आधार पर तथा न्यायहित में विवादित भूमि को संरक्षण हेतु उभयपक्ष को निर्देश दिया जाता है कि प्रस्तुत वाद कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कारणपृच्छा दाखिल किए जाने तक यथास्थिती बनाये रखे। वाद दिनांक. 05.03.2024 वास्ते उपस्थिीती। ले0 अवर न्यायाधीश प्रथम जगदीशपुर,भोजपुर	